फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री सौभाग्यसिंह | **विपक्षी :– श्री भानसिंह**

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 4 जा.दी. | **पत्रावली संख्या : 14/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.03.2021

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से मूल वाद प्रकरण सं. 58/17 अनवान सौभाग्यसिंह बनाम भानसिंह दिनांक 18.06.2019 को वादी एवं अधिवक्ता वादी की अनुपस्थिति में वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया। उसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा जानकारी में आते ही नकल निकलवाई गई एवं आज दिनांक 10.03.2021 को बाज दायरी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया।

प्रकरण में मूल वाद दिनांक 14.03.2017 को दर्ज हुआ जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 5 की तामीलों में चल रहा था। दिनांक 18.06.2019 को वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा आज दिनांक को बाज दायरी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का पेश कर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 18.06.2019 को अपास्त किया जाकर मूल वाद को नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में वादी का वाद तलवी में चल रहा था तलवी में भी वादी ने अवसर लिये। पेशी दिनांक 18.06.19 को पेशी पर अनुपस्थित रहा हैं जो कि वादी की लापरवाही का द्योतक हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी उनके एवं उनके अधिवक्ता के पेशी पर अनुपस्थित रहने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रार्थी द्वारा वादी का वाद अदम हाजरी में खारिज होने के लगभग 1 वर्ष 9 माह पश्चात् पेश किया हैं उसमें भी देरी के कारण/मयाद को कन्डोन करने हेतु धारा 5 अवधि अधिनियम का भी पेश नहीं किया हैं। प्रार्थी द्वारा पेशी पर अनुपस्थित रहने के कोई ठोस कारण नहीं बताकर केवल मात्र कोविड–19 के तहत् लॉक डाउन की बात कही है जबकि प्रार्थी का वाद दिनांक 18.6.19 को खारिज हुआ है एवं लॉक डाउन लगभग 8–9 माह पश्चात् लगा हैं। प्रार्थी/वादी को अपने वाद के प्रति सजग रहना चाहिए। प्रार्थी/वादी का यह दायित्व है कि उसे वाद प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने अधिवक्ता से लगातार सम्पर्क बनाये रखकर वाद में कार्यवाही एवं पेशी की जानकारी लेनी चाहिए। वादी के अधिवक्ता एवं वादी दोनों द्वारा घोर लापरवाही बरती हैं। मूल वाद लगभग 2 वर्ष से अधिक समय से तलबी में चल रहा था जिसमें भी वादी द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में तामीले पेश नहीं की। प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 जिला चित्तौडगढ के निवासी होने से उनकी भी तामील रजिस्टर्ड एडी से करा रसीद पेश करनी थी वह भी वादी द्वारा लगभग 2 वर्ष से अधिक समय के बाद भी कराने में असमर्थ रहा व स्वयं भी पेशी पर अनुपस्थित रहा है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादी शुरू से ही अपने प्रकरण के प्रति लापरवाह रहा हैं। प्रार्थी द्वारा आज प्रार्थना पत्र बाज दायरी का पेश किया है वह भी ठोस कारणों पर आधारित नहीं होकर उसके साथ मयाद को कन्डोन करने के लिए धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया हैं, जिससे मयाद को कन्डोन किया जा सके। प्रार्थी द्वारा मात्र न्यायालय का समय का जाया करने के लिए अपूर्ण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद [illegible] खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.03.15 15:49:40 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली